

# संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर

## संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक- 1243/सं.म./स्था./भर्ती/2017-18

नया रायपुर दिनांक 05.08.2017

छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 243/641/2014/36 दिनांक 18/06/2015 एवं पत्र क्रमांक एफ 1-9/2017/36 दिनांक 21/07/2017 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन निम्न रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में निम्न तालिका अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है-

स. क.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छोगो की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	सहायक मत्स्य अधिकारी वेतनमान रु. 9300-34800/- ग्रेड पे 4300/-	01	01	02	01	-	-	-	-	-	-	05
2	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 2800/-	04	-	02	05	01	-	-	01	04	01	11
3	स्टेनो टायपिस्ट वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
4	सहायक वर्ग 03 वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03

(सातवें वेतनमान में यथा पुनरीक्षित वेतन)

**शैक्षणिक योग्यता :-** सहायक मत्स्य अधिकारी पद हेतु- "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एफ.एससी.,

**अथवा**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य एवं मत्स्योद्योग में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर (एम. एससी. प्राणीविज्ञान) तथा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।"

**मत्स्य निरीक्षक पद हेतु-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.,

**अथवा**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।

### स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु—

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
- (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

### सहायक ग्रेड-3 पद हेतु—

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
- (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

विज्ञापन से संबंधित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप मछली पालन विभाग की विभागीय वेबसाइट [www.fisheries.cg.gov.in](http://www.fisheries.cg.gov.in) एवं संचालनालय जनसम्पर्क के वेबसाइट [www.cg.nic.in/dpr](http://www.cg.nic.in/dpr) पर देखा जा सकता है।

आवेदन पत्र, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 04 सितंबर 2017 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर छ0ग0 में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संचालक मछली पालन  
छत्तीसगढ़

# संचालनालय मछली पालन छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर

## विज्ञापन

क्रमांक- 1244/सं.म./स्था./भर्ती/2017-18

नया रायपुर दिनांक 05.08.2017

छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 243/641/2014/36 दिनांक 18/06/2015 एवं पत्र क्रमांक एफ 1-9/2017/36 दिनांक 21/07/2017 द्वारा मछली पालन विभाग के अधीन निम्न रिक्त पदों पर सीधी भरती के माध्यम से पदपूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में निम्न तालिका अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की प्रवर्गवार संख्या का विवरण निम्न तालिकानुसार है-

स. क्र.	पद का नाम तथा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छ0ग0 की स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				वर्गवार कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद	योग
		अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	सहायक मत्स्य अधिकारी वेतनमान रु. 9300-34800/- ग्रेड पे 4300/-	01	01	02	01	-	-	-	-	-	-	05
2	मत्स्य निरीक्षक वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 2800/-	04	-	02	05	01	-	-	01	04	01	11
3	स्टेनो टायपिस्ट वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
4	सहायक वर्ग 03 वेतनमान रु. 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03

(सातवें वेतनमान में यथा पुनरीक्षित वेतन)

**निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था :-** उपरोक्त तालिका के कालम क्र0 11 में निःशक्तजनों के लिए पद आरक्षित हैं। आरक्षित रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध चयनित निःशक्त उम्मीदवार के जाति प्रवर्ग के आधार पर उम्मीदवार का नाम, उसके जाति के आधार पर आरक्षण रोस्टर के संबंधित बिंदु में प्रविष्टि की जावेगी।

**भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुदेश -** भूतपूर्व सैनिकों को अपने आवेदन के साथ, निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगा। छ0ग0 के भूतपूर्व (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 में निहित प्रावधान यथासंशोधित लागू होंगे।

**शैक्षणिक योग्यता :-**

**अ. सहायक मत्स्य अधिकारी पद हेतु—** “किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एफ.एससी.,  
**अथवा**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य एवं मत्स्योद्योग में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर (एम. एससी. प्राणीविज्ञान) तथा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।”

**ब. मत्स्य निरीक्षक पद हेतु—** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एफ.एससी.,  
**अथवा**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त।

**स. स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु—**

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
- (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

**द. सहायक ग्रेड-3 पद हेतु—**

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
- (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)

**नियम एवं शर्तें —**

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**आयु सीमा —**

- (अ) सहायक मत्स्य अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2017 को 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण ना की हो।
- (ब) स्टेना टायपिस्ट एवं सहायक वर्ग 03 पदों के लिए अभ्यर्थी, ने दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।

तथापि सामान्य प्रशासन विभाग छ0ग0 शासन, मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 23/01/2017 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 5 वर्ष की दी गई छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू होगी।

आयु सत्यापन हेतु पॉचवी, अथवा आठवीं अथवा दसवीं की अंक सूची/प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ0ग0 शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता / नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।**

2. आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःषक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर कीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने के तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।**

3. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। **यदि आवेदक ने अपने नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो, तथा आवेदन प्रस्तुत करना प्रमाणित करता हो तो आवेदन पत्र विचारणीय होगा, तथापि चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में अथवा पश्चात्, नियोक्ता से आपत्ति प्राप्त होने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।**
4. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक जिस पद हेतु आवेदन कर रहा है, उस पद का नाम लिफाफे में लिखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें। फोटो को स्वयं द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जावेंगे।
7. अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा (स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक वर्ग 03) व साक्षात्कार के समय समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की **मूल प्रतियाँ तथा स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से**

**सत्यापित 1-1** छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कौशल परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

8. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा हुआ बिना टिकट लगाये दो लिफाफा संलग्न करना होगा।
10. संचालक मछली पालन छ0ग0 रायपुर द्वारा, बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेंगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।
11. शासन द्वारा नियमों/ भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।
12. **चयन प्रक्रिया –**

**सहायक मत्स्य अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षक हेतु—**

आवेदनों की छानबीन पश्चात् पात्र पाये गए अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा –

प्रथमतः प्राप्त आवेदनों की विहित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जावेगी। तैयार प्राविण्य सूची के आधार पर 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा। विहित शैक्षणिक अर्हता से उच्च शैक्षणिक अर्हता पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किये जावेंगे।

**सहायक मत्स्य अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षक हेतु मापदंडः—**विहित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक प्रतिशत का 90 प्रतिशत—अधिकतम 90अंक, साक्षात्कार—10अंक **कुल अंक—100 अंक स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक वर्ग 03 हेतु—**

अभ्यर्थियों के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अथवा चयन हेतु परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

उपरोक्त मेरिट सूची के आधार पर 1:12 के अनुपात में कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से उच्च शैक्षणिक अर्हता पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किये जावेंगे।

**स्टेनो टायपिस्ट हेतु मापदंड :-**विहित शैक्षणिक अर्हता 10+2 हायर सेकेण्डरी/पुरानी हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत— अधिकतम 50 अंक एवं हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन कौशल परीक्षा— अधिकतम 50 अंक, **कुल अंक – 100 अंक**

**सहायक वर्ग 03 हेतु मापदंड :-** विहित शैक्षणिक अर्हता 10+2 हायर सेकेण्डरी/पुरानी हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत— अधिकतम 50 अंक, कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन कौशल परीक्षा— अधिकतम 50 अंक, **कुल अंक – 100 अंक**

13. अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।
14. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा उपरान्त असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
16. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ज्ञाप क्रमांक – एफ 13-15/2012/आ.प्रा./1/3 दिनांक 18/07/2012 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटि. (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012, तथा 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी एवं विज्ञापित किये गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में, माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
17. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर सेवा नियमित की जा सकेगी।
18. प्रतीक्षा सूची, जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
19. अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक मछली पालन, छ0ग0 रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
20. आवेदक को चाहिये कि विज्ञापित का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर आवेदन पत्र में सही-सही, स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी भरे। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे एवं इस संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी, आवेदन के निरस्त होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। एक अभ्यर्थी का एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके उस पद हेतु सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जावेंगे।
21. आवेदन पत्र भेजने के संबंध में दिशा निर्देश—  
इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, वॉछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों सहित, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 04 सितंबर 2017 को सांय 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व संचालनालय मछली पालन, इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, नया रायपुर छ0ग0 में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त के अलावा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डाक से हुए विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

संचालक मछली पालन  
छत्तीसगढ़

॥ आवेदन पत्र ॥

प्रति,

संचालक मछली पालन,  
इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल,  
बी ब्लॉक, नया रायपुर छ0ग0

स्वयं अथवा  
राजपत्रित अधिकारी  
से सत्यापित स्वयं  
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम :- .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :- .....
3. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) :- .....
4. पिता/पति का पूरा नाम :- .....
5. पत्र व्यवहार का पता :- .....
6. स्थायी पता :- .....
7. गृह जिला :- .....
8. राष्ट्रीयता :- .....
9. जन्म तिथि (अ) अंको में :- .....
- (ब) शब्दों में :- .....
10. आयु (01.01.2017 की स्थिति में) :- वर्ष -.....माह -.....दिन -.....
11. आयु सीमा में छूट चाहते हैं ? हां/नहीं :- .....
- यदि छूट चाहते हैं तो छूट का आधार - (प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
12. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :- .....
13. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है - हां/नहीं :- .....
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
14. आवेदक की जाति (कृपया जाति अंकित करें) :- .....
- जाति प्रवर्ग (अजजा/अजा0/अपिव/अनारक्षित प्रवर्ग) :- .....
15. क्या नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं (हां/नहीं स्पष्ट अंकित करें):- .....
- यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।



16. शैक्षणिक अर्हता :- (आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						

17. क्या आवेदक किसी प्रकार की निःषक्तता से बाधित है :- **हाँ / नहीं**

(कृपया सही का चिन्ह अंकित करें)

यदि हाँ, तो निःषक्तता का प्रकार एवं प्रतिषत अंकित करें :- .....

(प्रकार— श्रवण/दृष्टि/अस्थि बाधित अथवा अन्य) .....

कृपया तत्संबंधी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

18. क्या आप शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत हैं (हाँ/नहीं) :- .....

यदि हाँ तो वर्तमान अथवा पूर्व सेवाओं का विवरण :- .....

.....

.....

अ – धारित पद का नाम :- .....

ब – कार्य की अवधि :- दिनांक ..... से ..... तक कुल अवधि ..... वर्ष

स – नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :- .....

.....

19. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? यदि हाँ तो विवरण देवे :- .....

.....

.....

19. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :- .....दिनांक .....

रोजगार कार्यालय का नाम एवं पता :- .....

.....

20. क्या आप विवाहित हैं हाँ/नहीं :- .....

यदि हाँ तो विवाह की तिथि अंकित करें :- .....

21. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण –

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम :- .....

## घोषणा पत्र

मैं .....आत्मज्/आत्मजा/पति श्री.....  
एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उण्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

.....

**आवेदक के हस्ताक्षर**

आवेदक का पूरा नाम .....